

योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
शादी हेतु वित्तीय सहायता (रूल-282)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु मु0 51,000 /- (ईकावन हजार) रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु मु0 51,000 /- (ईकावन हजार) रुपये प्रत्येक बच्चा, की राशि प्रदान की जाती है।

Financial Aid For Marriage  
[Rule No.-282]